उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–287 /5–9–12–09(37)/07
लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल 2012

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यकम संचालित किये जा रहें है। समुदाय विशेष के निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या–3026/5–9–07–9(37)/07 दिनांक 05.09.2007 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ''ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति'' का गठन निम्नवत किया गया है :–

1– समिति की संरचना :

1–	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2–	क्षेत्र की एन0एन0एम0/बे0स्वा0का0 (महिला)	उपाध्यक्ष
3–	संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के सभी 6 निर्वाचित सदस्य (जिसमे एक अनुसूचित जाति/जनजाति, एक अन्य पिछडा वर्ग तथा एक महिला सदस्य अनिवार्यतः होंगे तथा अन्य 3 ग्राम पंचायत के निर्वाचन सदस्य होंगे)।	सदस्य
4–	स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक पुरवे के प्रतिनिधि, अन्य महिलाएं एवं क्षेत्रीय विषय विशेषज्ञ (अधिकतम–7)	विशेष आमंत्री
5–	क्षेत्र की ''आशा'' यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक आशा कार्यरत है तो प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा नामित आशा सदस्य सचिव होगी, तथा अन्य आशा समिति की सदस्य होगी।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रियों को बैठक में भाग लेकर अपना अभिमत व्यक्त करने का अधिकार होगा और उनके अभिमत को बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित भी किया जाएगा किन्तु विशेष आमंत्रियों को बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

2–अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण

प्रदेश की समस्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन के पश्चात इन समितियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा सके–अतः अपेक्षित गतिविधियों की जानकारी देने के लिए समिति के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3–ग्राम स्वास्थ्य निधिः

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति वार्षिक (असम्बद्ध अनुदान) रू0 10,000/–हेतु अधिकृत होंगी। यह धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु व्यय की जायेगी :–

(क) इस धनराशि का उपयोग आवर्ती कोष के रूप में किया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद परिवार के लिए इसमें से धनराशि आहरित की जा सकेगी जिसकी किश्तों में वापसी की जायेगी।

(ख) ग्राम स्तरीय जन स्वास्थ्य गतिविधियां–यथा स्वच्छता अभियान, आरोग्यकारी गतिविधियां, **Waste and Sewage Disposal Management,** स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां, आंगनवाड़ी स्तर की गतिविधियॉ, परिवार सर्वेक्षण आदि कार्यो का सम्पादन।

(ग) असामान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धन परिवार या बेसहारा महिला की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु इस कोष का समिति द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

(घ) स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के लिए असम्बद्ध अनुदान एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग केवल उन्ही कियाकलापो के लिए किया जाये जो एक से अधिक परिवारों के लाभ के लिए किये जाये। समुदाय के पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, संरक्षण, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो के लिए इस फण्ड का उपयोग किया जा सकेगा।

(ड़) ग्राम स्वास्थ्य समिति के फण्ड में प्रत्येक ग्राम द्वारा आर्थिक योगदान किया जा सकता है। ऐसे गांवों में जहां स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रू0 10,000/– के असम्बद्ध अनुदान में आर्थिक योगदान किया गया है, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। असम्बद्ध अनुदान का उद्धेश्य स्थानीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाना है जिनसे ग्रामीण स्तर की जन स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरते पूरी हो सके।

4–ग्राम स्वास्थ्य निधि के खाते का प्रबन्धन :

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की धनराशि बैंक के खाते में रखी जाएगी जिसका संचालन समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान तथा समिति की सदस्य–सचिव (ए0एन0एम0)/बे0 स्वा0 क0 (महिला) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के आय व व्यय का विवरण सदस्य/सचिव ए0एन0एम0/बे0स्वा0क0 (महिला) द्वारा एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। समय–समय पर समिति के सदस्यों द्वारा इन रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने के साथ–साथ सामान्य जनता द्वारा भी एक पूर्व निर्धारित तिथि में इस रजिस्टर का अवलोकन किया जा सकता है।

5–समिति का उत्तरदायित्व

(क) प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के स्तर पर अद्यतन परिवार सर्वेक्षण आंकड़े रखे जाएगे ताकि मॉग जनित कार्यक्रमों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा की गयी कार्यवाही, व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण जनसामान्य के देखने के लिए एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा एवं समय–समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यो का क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा की जाएगी।

(घ) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यो का विवरण ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ड़) जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के क्रियाकलापो का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

(च) समिति के अभिलेखों (कार्यवृत्त, रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर आदि) के रखरखाव का कार्य ए0एन0एम0/बे0स्वा0का0(महिला) के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में "आशा" द्वारा किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3410/पॉच–9–2008–9(37)/07 दिनांक 22.07.2009 द्वारा पूर्व में निर्गतकार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

7— इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश संख्या—जेड0 —18015 /8 /2011 —एन0 आर0एच0एम0—दो दिनांक 25.07.2011 एवं तद्क्रम में मिशन निदशेक राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाइ लखनऊ के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/कम्यू0 प्रो0/बी0एच0एस0सी0/2011—12/10—2/1932 दिनांक 05.09.2011 द्वारा उपलब्ध करायी गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 (यथा संशोधित दिनांक 22.01.2009) द्वारा पूर्व में गठित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का नाम परिवर्तित कर "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति " किये जाने एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 के प्रस्तर—7 में उल्लिखित समिति के उत्तरदायित्व में निम्नवत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(1) "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति " समुदाय में पोषण के सम्बन्ध में जागरूकता फैलायेगी तथा लोगो के स्वरथ्य रहने में पोषाहार के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी देगी।

(2) अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर एवं कुपोषण का सर्वेक्षण कार्य करायेगी।

(3) अपने क्षेत्र में उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थो एवं फल आदि जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो, की पहचान करने हेतु उनका प्रचार प्रसार करेगी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान जो क्षेत्रीय संस्कृति, क्षमता एवं प्राकृतिक वातावरण के समानुरूप हो, को सामुदायिक परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा देगी।

(4) ए0एन0एम0, ऑगनवाड़ी, आशा एवं मुख्य सेविका के सहयोग से पोषण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करेगी। ग्राम में यदि कुपोषित बच्चे है तो कुपोषण के कारण की जानकारी कर इन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगी।

(5) गॉव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में सकियता से सहयोग प्रदान एवं समुदाय को प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगी कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस प्रत्येक माह में आयोजित हो।

(6) बच्चो में कुपोषण की शीघ्र पहचान कर निकटतम सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र में सन्दर्भित करेंगी।

(7) ऑगनवाडी के कियाकलपो का पर्यवेक्षण करेंगी तथा महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति को बेहतर करने मे आगनबाडी केन्द्र की सहायता करेंगी।

(8) स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु एक मंच प्रदान करेंगी।

8— उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 (यथा संशोधित दिनांक 22.01.2009) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 287 (1)/5–9–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

2— प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाइ उ0 प्र0 लखनऊ

5— निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0।

6— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0 प्र0।

7— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0 प्र0।

8— समिति के समस्त सदस्यगण।

8— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0 प्र0।

9— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0।

10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव